न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग राजस्थान
पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 107/2023

01. संजय कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी बडा मौहल्ला कामाँ तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।

सायल

बनाम

01. अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी बडा मौहल्ला कामाँ तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।
02. रामदुलारी पत्नी स्व0 रामजीलाल जाति जाटव निवासी बडा मौहल्ला कामाँ तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।
03. मुकेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाटव निवासी निवासी बडा मौहल्ला कामाँ तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।
04. अरूणा पत्नी स्व0 नीरज
05. कनिष्क कुमार
06. जतिन कुमार पिसरान नीरज निवासी बडा मौहल्ला कामाँ तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।
07. अनीता पुत्री रामजीलाल पत्नी विनोद जाति जाटव निवासी कस्बा कामाँ हाल आबाद प्रहलादपुर दिल्ली।
08. मीरा पुत्री रामजीलाल पत्नी पूरन चन्द जाति जाटव निवासी कस्बा कामाँ हाल आबाद प्रहलादपुर दिल्ली।
09. सुनीता पुत्री रामजीलाल पत्नी प्रभूदयाल जाति जाटव निवासी कस्बा कामाँ हाल आबाद प्रहलादपुर दिल्ली।
10. कमला सिंह पुत्री रामजीलाल पत्नी राजकुमार जाति जाटव निवासी कस्बा कामाँ हाल आबाद महरोली दिल्ली।
11. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित अधिवक्ता
01. सायल अधिवक्ता श्री रूपसिंह यादव।
02. गैर सायल अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

सायल अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है जिसमें सायल को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है। आराजी खसरा नम्बर 2359/0.60, 2367/0.15 किता–2 रकबा 0.75 हैक्टर बांके कस्बा कामाँ नं0 2 तहसील कामाँ में स्थित है सबूत में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 पेश है:– विवादित आराजी मुतनाजा पूर्व मं रामजीलाल पुत्र सोहन लाल के कब्जे काश्त खातेदारी की थी जो सायल एवं असल गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 के पिता, पति, ससुर, बाबा, है जिसका स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में मृत्तक रामजीलाल की विरासत का नामा0 संख्या 377 दिनांक 30.10.2023 से दर्ज हो चुका है। विरासत का नामा0 प्रक्रियाधीन है। विवादित आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

2359/0.60, 2367/0.15 हैक्टर बांके कस्बा कामाँ नं0 2 तहसील कामाँ में मुताबिक नामा0 संख्या 377 से सायल 1/9 हिस्से का गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 वाहिस्सा बराबर 1/3 के गैरसायल संख्या 4 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के तथा गैरसायल संख्या 7 लगायत 10 वाहिस्सा बराबर 4/9 हिस्सा पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जो मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड संयुक्त रूप से सामलाती तौर पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर सामलाती तौर पर हिस्सानुसार काबिज काश्त है। अब तक सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त रूप से मुताबिक हिस्सा आराजी मुतनाजा पर काश्त करते रहे है लेकिन अब सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 के मध्य सामलाती तौर पर काबिज रहकर काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है। क्योंकि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 वक्त काश्त सालय के साथ झगडा फिसाद करते है। काश्त करने व्यवधान पैदा करते है सायल ने दिनांक 10.11.2023 को गैरसायल संख्या 1 लगायत 10 से आपसी सहमति से बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 के मध्य मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड किया जाकर अलग-अलग राज लगान व जमाबन्दी कायम की जावें। विवादित आराजी मुतनाजा के समस्त रकबा से गैरसायल संख्या 1 लगायत 10 का कोई संबंध किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी गैरसायल संख्या 1 लगायत 10 लट्ठ व ताकत के बल पर सायल को उसके हिस्से से बेदखल कर कब्जा नाजाइज करना चाहते है। बिना विभाजन कराये आराजी मुतनाजा को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते है। जिसकी बावत गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 ने दिनांक 20.11.2023 को ऐलानिया धमकी दी है कि राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के नामा0 को फैसल होते ही हम आराजी मुतनाजा का बयनामा दीगर व्यक्तियों को करा देगे जिसकी हमने पेशगी राशि भी खरीददार से ले रखी है। यदि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपरमित क्षति होगी नुकसान अजीम होगा जिसकी क्षति पूर्ति जरिये नकद से ना हो सकेगी विधि वजह सायल दावेदार है और गैरसायल संख्या 1 लगायत 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायल पक्ष में प्रकट है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 2359/0.60, 2367/0.15 हैक्टर किता-2 रकबा 0.75 हैक्टर बांके कस्बा कामाँ नं0 2 तहसील कामाँ को बिना विभाजन कराये अन्य व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करे, सायल को बेदखल कर उसके हिस्से पर कब्जा नाजाइज ना करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे सायल के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाव प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र से वाद पत्र पेश होना स्वीकार है। किन्तु सायल को उसमें कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। मद नं. दो प्रार्थना पत्र स्वीकार है। मद नं. तीन प्रार्थना पत्र स्वीकार है। मद नं. चार प्रार्थना पत्र स्वीकार है। मद नं. पाँच प्रार्थना पत्र जिस कदर बयान की गई है कतई गलत है स्वीकार नहीं है सायल स्वयं ही समस्त आराजी पर काश्त कर रहा है उसका हिस्सा गैरसायलान एक को कभी देता है कभी छोटा भाई होने के नाते बडा भाई अशोक गैरसायल नं. 1 अपनी पैदा को सायल के लिये छोड देता है सायल ने आज तक भी आराजी मुतदाविया के विभाजन की नहीं कही और न ही कभी गैरसायलान ने बंटवारे से इंकार किया और नह ही कभी फसल के समय कहन सुनन होती है न ही दिनांक 10.11.2023 को गैरसायालान ने सायल को कोई धमकी दी है जब सायल ही सम्पूर्ण आराजी पर गैरसायलान की तरफ से भी काश्त कर रहा है तो धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता सायल ने सभी बाते दावे में रंगत लाने की गरज से दर्ज की है इस विनाय पर प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिजी है। मद नं. छः प्रार्थना पत्र जिस कदर बयान की गई है कतई गलत व सत्य से परे है। सम्पूर्ण आराजी पर अन्य सभी सहकाश्तकारों की सहमति से अकेला ही काश्त कर रहा है। जो भी हिस्सा कभी-कभी दे देता है तो ले लेते है अन्यथा छोटा भाई होने के कारण सम्पूर्ण फसल को सायल ही अपने कब्जे में लेता है गैरसायल नं0 एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था जो अब पेंशन हो जाने के बाद दिल्ली मय परिवार के चला गया है। गैरसायल नं0 4, 5, 6 माँ बेटे है जो भी दिल्ली रहते

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

है गैरसायल नं0 4 अरूणा हॉस्पीटल में नौकरी करती है व गैरसायल संख्या 5, 6 दिल्ली में ही अपनी माँ के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। गैरसायल नं. 7, 8, 9 व 10 अपनी–अपनी ससुराल में रहती है। वे भी अपना हिस्सा लेने नहीं आती सायल ने दिनांक 20.11.2023 को ऐलानिया धमकी की बाते जो लिखी है वह मनगढन्त है। जब (सम्पूर्ण) आराजी पर सायल ही काश्त कर रहा है और सभी गैर सायलान कस्बा कामाँ से बाहर रहते है यदि गैरसायलान द्वारा धमकी देते तो गैरसायल अपने–अपने हिस्से का विभाजन का दावा करते। जबकि गैरसायलान की सहमति से सायल काश्त कर रहा है इसलिए सायल को गैरसायलान द्वारा परेशान करने व झगडा फिसाद करने एवं रहन वय मुन्तकिल की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता यदि गैरसायलान आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल करना चाहे तो अपने–अपने हिस्से को रहन वय मुन्तकिल करने के लिए स्वतन्त्र है इस विनाय पर सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रकट नहीं होती है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है। सायल ने गैरसायलान को वेवजह तंग व परेशान करने की नियत से यह मुकदमा किया है जो काबिले खारिजी है। गैरसायलान हमेशा विभाजन के लिए तैयार है और अब भी तैयार है सायल व गैरसायलान के मध्य मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक हिस्सा विभाजन कर दिया जावे तो हम गैरसायलान को कोई ऐतराज नहीं है। विभाजन इस प्रकार हो कि सभी काश्तकारों को सडक व रास्ते की तरफ निकास मिल सकें। जबाव प्रार्थना पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल खिलाफ गैरसायलान मय खर्चा खास बीस हजार खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। सायल अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में लिखित तथ्यों को दोहराया कि आराजी खसरा नम्बर 2359/0.60, 2367/0.15 किता–2 रकबा 0.75 हैक्टर बांके कस्बा कामाँ नं0 2 तहसील कामाँ में स्थित है। विवादित आराजी मुतनाजा पूर्व में रामजीलाल पुत्र सोहन लाल के कब्जे काश्त खातेदारी की थी जो सायल एवं असल गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 के पिता, पति, ससुर, बाबा, है जिसका स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में मृत्तक रामजीलाल की विरासत का नामा0 संख्या 377 दिनांक 30.10.2023 से दर्ज हो चुका है। विरासत का नामा0 प्रक्रियाधीन है। विवादित आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 2359/0.60, 2367/0.15 हैक्टर बांके कस्बा कामाँ नं0 2 तहसील कामाँ में मुताबिक नामा0 संख्या 377 से सायल 1/9 हिस्से का गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 वाहिस्सा बराबर 1/3 के गैरसायल संख्या 4 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के तथा गैरसायल संख्या 7 लगायत 10 वाहिस्सा बराबर 4/9 हिस्सा पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जो मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड संयुक्त रूप से सामलाती तौर पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर सामलाती तौर पर हिस्सानुसार काबिज काश्त है। अब तक सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त रूप से मुताबिक हिस्सा आराजी मुतनाजा पर काश्त करते रहे है लेकिन अब सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 के मध्य सामलाती तौर पर काबिज रहकर काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है। क्योंकि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 वक्त काश्त सालय के साथ झगडा फिसाद करते है। काश्त करने व्यवधान पैदा करते है सायल ने दिनांक 10.11.2023 को गैरसायल संख्या 1 लगायत 10 से आपसी सहमति से बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 के मध्य मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड किया जाकर अलग–अलग राज लगान व जमाबन्दी कायम की जावें। बिना विभाजन कराये आराजी मुतनाजा को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते है। यदि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 10 अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपरमित क्षति होगी नुकसान अजीम होगा जिसकी क्षति पूर्ति जरिये नकद से ना हो सकेगी विधि वजह सायल दावेदार है और गैरसायल संख्या 1 लगायत 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायल पक्ष में प्रकट है। गैर सायलान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की गई कि सायल स्वयं ही समस्त आराजी पर काश्त कर रहा है उसका हिस्सा गैरसायलान एक को कभी देता है कभी छोटा भाई होने के नाते बडा भाई अशोक गैरसायल नं. 1 अपनी पैदा को सायल के लिये छोड देता है सायल ने आज तक भी आराजी मुतदाविया के विभाजन की नहीं कही और न ही कभी गैरसायलान ने

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

बंटवारे से इंकार किया और ना ही कभी फसल के समय कहन सुनन होती है न ही दिनांक 10.11.2023 को गैरसायालान ने सायल को कोई धमकी दी है जब सायल ही सम्पूर्ण आराजी पर गैरसायलान की तरफ से भी काश्त कर रहा है तो धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता सायल ने सभी बाते दावे में रंगत लाने की गरज से दर्ज की है इस विनाय पर प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिजी है। मद नं. छः प्रार्थना पत्र जिस कदर बयान की गई है कतई गलत व सत्य से परे है। सम्पूर्ण आराजी पर अन्य सभी सहकाश्तकारों की सहमति से अकेला ही काश्त कर रहा है। जो भी हिस्सा कभी–कभी दे देता है तो ले लेते है अन्यथा छोटा भोई होने के कारण सम्पूर्ण फसल को सायल ही अपने काम में लेता है गैरसायल नं0 एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था जो जो अब पेंशन हो जाने के बाद दिल्ली मय परिवार के चला गया है। गैरसायल नं0 3 व रोजगार के प्रयागराज में काफी दिनों से रहता है गैरसायल नं0 4, 5, 6 माँ बेटे है जो भी दिल्ली रहते है गैरसायल नं0 4 अरूणा हॉस्पीटल में नौकरी करती है व गैरसायल संख्या 5, 6 दिल्ली में ही अपनी माँ के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। गैरसायल नं. 7, 8, 9 व 10 अपनी–अपनी ससुराल में रहती है। वे भी अपना हिस्सा लेने नहीं आती सायल ने दिनांक 20.11.2023 को ऐलानिया धमकी की बाते जो लिखी है वह मनगढन्त है। जब (सम्पूर्ण) आराजी पर सायल ही काश्त कर रहा है और सभी गैर सायलान कस्बा कामाँ से बाहर रहते है यदि गैरसायलान द्वारा धमकी देते तो गैरसायल अपने–अपने हिस्से का विभाजन का दावा करते। जबकि गैरसायलान की सहमति से सायल काश्त कर रहा है इसलिए सायल को गैरसायलान द्वारा परेशान करने व झगडा फिसाद करने एवं रहन वय मुन्तकिल की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता यदि गैरसायलान आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल करना चाहे तो अपने–अपने हिस्से को रहन वय मुन्तकिल करने के लिए स्वतन्त्र है इस विनाय पर सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है। गैरसायलान हमेशा विभाजन के लिए तैयार है और अब भी तैयार है सायल व गैरसायलान के मध्य मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक हिस्सा विभाजन कर दिया जावे तो हम गैरसायलान को कोई ऐतराज नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रकट नहीं होती है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योगय है। सायल ने गैरसायलान को वेवजह तंग व परेशान करने की नियत से यह मुकदमा किया है जो काबिले खारिजी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा सायल अधिवक्ता व गैर सायलान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वर्तमान में उक्त आराजी गैरसायलान के पिता रामजीलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें गैर सायलान मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार/हिस्सेदार है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। साथ ही सायल अधिवक्ता द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में प्रतीत होता हो। अतः प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां डीग

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०